

संचिका सं०-17/कोर्ट-63/2019

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय :- डा० रवीन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-13049/2019 डा० रवीन्द्र कुमार सिन्हा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-08.08.2019 को पारित न्यायादेश।

आदेश :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना के ज्ञापांक-जी०ई०-02-SA-V-4-321 दिनांक-26.06.2018 के आलोक में स्वीकृत।

2- डा० सिन्हा दिनांक -30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना कृपया डा० सिन्हा के सभी सरकारी बकाया आदि के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत प्राधिकार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-63/2019 - 633 (17) /स्वा०, पटना, दिनांक- 13/8/19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-डा० रवीन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय वर्तमान पत्राचार का पता - आवास संख्या-1/6, डाक्टर्स कॉलोनी, डी०एम०सी० कैम्पस, पो०-डी०एम०सी०, दरभंगा -846003 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।